P-1 R.M.M. Law College - Saharsa
Manvendra Mandal, Part time Lecturer
Hindu Marriage Act Part - 1

धारा 9 के अन्तर्गत पारित एक तरफा डिक्री को कैसे अपास्त कराया जा सकता है ?

उपरोक्त प्रश्न का उत्तर से संतुष्ट होने के लिए पंच बटी बाई बनाम सोनू राम सोनी के मामले में न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय को अवश्य देखा जाना चाहिए। इस वाद में मामले के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार थे कि पति द्वारा पत्नी के विरुद्ध धारा-9 में दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन की याचिका दाखिल की गई। पत्नी पर समन की पर्याप्त तामिल होने के बाद भी वह न्यायालय द्वारा मुकर्रर तिथि 25-8-82 को उपस्थित नहीं हुई और तत्पश्चात न्यायालय ने एकतरफा सुनवाई का आदेश पारित किया। दिनांक 7-10-82 को एकतरफा साक्ष्य लेने के पश्चात याचिका पर उसी दिन एकतरफा डिक्री पारित करने का आदेश किया गया। इसके बाद दिनांक 10-12-82 को पत्नी द्वारा एकतरफा डिक्री को अपास्त करने का आवेदन इस आधार पर दिया गया कि यह एकतरफा डिक्री सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2(2) में डिक्री की परिभाषा में आती है जिसको आदेश 9 नियम 13 में अपास्त किया जा सकता है चूँकि एक तरफा डिक्री को अपास्त करने के लिए परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 123 के अन्तर्गत 30 दिन के अन्दर आवेदन देना आवश्यक है अन्यथा परिसीमा के बाद आवेदन की देरी को अधिनियम की धारा-5 में माफ करवाना आवश्यक है जिसके फलस्वरूप पति द्वारा एकतरफा डिक्री को आदेश 9 नियम 13 में अपास्त करने के आवेदन के साथ परिसीमा अधिनियम की धारा 5 में भी देरी की माफी का आवेदन दिया गया।

मध्य प्रदेश उच्चन्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 9 में पारित एक तरफा डिक्री सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2(2) में डिक्री है जो कि आदेश 9 नियम 13 में अपास्त की जा सकती है।

Scanned with CamScanner

P-2 धारा 9 के अर्न्तगत पारित एक तरफा डिक्री को कैसे अपास्त करवाया जा सकता है?

अतः ऐसी एक तरफा डिक्री को अपास्त करने के लिए यह आवश्यक है कि वह परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 123 में दी गई 30 दिन की परिसीमा के अर्न्तगत हो. अन्यथा परिसीमा समाप्त होने के बाद की देरी को युक्तियुक्त कारण से माफ कर दिया गया हो। आप देखें बीना रानी बनाम धर्मपाल के मामले में विचारण न्याया० द्वारा धारा 9 के अर्न्तगत दायर याचिका में पारित डिक्री को अपास्त करने हेतु पत्नी की ओर से आवेदन सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 13 में दिया गया। यह आवेदन निर्धारित परिसीमा में था। परन्तु विचारण न्यायालय ने डिक्री को अपास्त करने के लिए दिये गये कारण को युक्तियुक्त न मानते हुए आदेश 9 नियम 13 के आवेदन को अस्वीकार कर दिया। उच्च न्यायालय पंजाब व हरियाणा ने विचारण न्यायालय के आदेश को अपास्त करते हुए यह मत व्यक्त किया कि वैवाहिक मामलों में दोनों पक्षकारों को सुनने का अवसर दिये जाने के पश्चात् गुणावगुण के आधार पर निर्धारण करना उचित एवं न्यायसंगत है।